

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655

ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं. 07662-241655

वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

क्र.नं. /स्था/अराज/एमसी/2024

रीवा, दिनांक.....


// आदेश //

मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के Sanctioned Order Endt. No. 3875 CST/R&D/(BioSci.)/2023, Dated 31.03.2023 के अनुक्रम में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 3875/स्था/अराज/एमसी/विज्ञप्ति/2023, रीवा, दिनांक 08.01.2024 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के बायोकेमिस्ट्री विभाग में संचालित रिसर्च प्रोजेक्ट में On Contractual Basis पर कार्य करने के लिए दिनांक 05.02.2024 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति जूनियर रिसर्च फेलो के पद पर निश्चित मासिक वेतन रु. 20,000/- प्रति माह पर निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S. No.	Name of Candidate	Father/Husband's Name	Corresponding Address	Cat.	Selected Cat.
1	2	3	4	5	6
1.	Sonam Singh Baghel	Shivendra Singh Baghel	L.I.G. 3/27/310, Nehru Nagar, Rewa (M.P.), 486001	UR	UR

सेवा की शर्तों:-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं समाप्त माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराईज्ड स्टाम्प पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने अथवा किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रिसर्च प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक के लिए होगी। (अधिकतम 31.03.2025 तक)
- रिसर्च प्रोजेक्ट की अवधि में वृद्धि किए जाने पर तदनुसार ही चयनित अभ्यर्थी की सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
- वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में अयोग्य पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- कार्यरत् अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह के वेतन के बराबर की राशि देकर संविदा अवधि के पूर्व सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर है तथा नियुक्ता को बिना किसी कारण बताए संबंधित की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।
- इस नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- संविदा अवधि में एक दिवस के साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- नियुक्त कर्मचारी को निश्चित मासिक वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।



क्रमशः पेज...02

13. संविदा कर्मचारी द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने अथवा कर्त्तव्य स्थल से निरंतर 07 दिवस से अधिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
14. उच्चस्थिति प्रतिवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना होगा। दस्तावेज असत्य पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
15. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संसाधनों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संसोधन सहित) के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।


(डॉ. मनोज इन्दुरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 14.2.24.....

पृ.क्र. 4154-61/स्था/अराज/एमसी/2024
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
3. श्री पी.एस. भल्ला, इंचार्ज, आर. एण्ड डी. प्रोजेक्ट, मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन, नेहरू नगर, भोपाल, 462003
4. डॉ. कपिला गायकवाड़, प्राध्यापक (नामित) एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित के वेतन का भुगतान Modulating effect of genotype on phenotype of iron deficiency anemia project के अंतर्गत उपलब्ध बजट में विकलनीय होगा।
6. महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)